न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

रेफरेन्स / 02 / 2008

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–दाताराम पुत्र हरेत कौम गूजर सांकिन बुध की हाट, भरतपुर (मृतक)

1/1–धन्ना
1/2–मंगलो
1/3–मोहिनी
1/4–कमला
} पुत्रीयान दाताराम कौम गूजर साकिन बुध की हाट भरतपुर

1/5–पगला (मृतक) ।

1/5/1–मेवाराम
1/5/2–देवीसिंह
1/5/3–लक्ष्मण
} पुत्रीयान पगला जाति गूजर हाल निवासी ग्राम ठिकरिया तहसील रुपवास

2–नवल सिंह पुत्र दाताराम कौम गूजर साकिन बुध की हाट भरतपुर (मृतक)

2/1–अर्जुन (मृतक)

2/1/1– लीला पत्नी अर्जुन

2/1/2–गोपाल
2/1/3–विजेन्द्र
2/1/4–गजेन्द्र
} पुत्रान अर्जुन निवासी बुध की हाट भरतपुर

2/1/5–सुनीता पुत्री अर्जुन

2/2–भीम पुत्र नवल सिंह (मृतक)

2/2/1–विजय पत्नी भीम

2/2/2–कुलदीप
2/2/3–योगेश
} पुत्रान भीम

2/2/4– मंजू
2/2/5–संजू
2/2/6–बसन्ती
2/2/7–दीपा
} पुत्रीयान भीम हाल पता नगला लुहार तहसील कुम्हेर, डीग

2/3–युधिष्ठिर
2/4–नकुल
2/5–सहदेव
} पुत्रान नवल सिंह

2/6–नन्दा
2/7–माया
2/8–सन्ता
} पुत्रीयान नवल सिंह

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है ।

लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

रेफरेन्स / 02 / 2008
तहसीलदार भरतपुर बनाम दाताराम वगै0

3–हरीशंकर पुत्र सिब्बो कौम वैश्य साकिन मौहल्ला घर नसवारिया भरतपुर (मृतक)
3/1– विरमा देवी पत्नि हरिशंकर
3/2– भोलेशंकर } पुत्रान हरिशंकर
3/3– भूपेन्द्र
3/4– मिथलेश
3/5– सुमनलता
3/6– प्रभा } पुत्रीयान हरिशंकर
3/7– रेनू
3/8– अनीता
4–ब्रज बिहारी लाल शुक्ल पुत्र लक्ष्मीकांत शुक्ल कौम ब्राहम्ण निवासी कोतवाली के पास भरतपुर
5–अमरसिंह पुत्र नत्थी सिंह जाति जाट निवासी नीम दरवाजा भरतपुर
6–दिनेश भारती पुत्र महेश चंद भारती जाति कायस्थ निवासी वी नारायण दरवाजा भरतपुर
7–वीरेन्द्र सिंह पदमसिंह जाति जाट साकिन पिदावली तहसील वयाना (मृतक)
7/1–राजवीर सिह हाल निवासी सारस चौराहा से आगे पुष्पवाटिका कॉलोनी भरतपुर
7/2–अरुण सिंह पुत्र वीरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी पिदावली तह0 वयाना
7/3–अंजू पुत्री वीरेन्द्र सिंह पत्नी भगवान सिंह जाति जाट हाल निवासी वयाना मोड के सामने कॉलोनी हिण्डौन सिटी; जिला करोली
7/4–मंजू पुत्री वीरेन्द्र सिंह पत्नि अजय सिह जाति जाट हाल निवासी गांधी पार्क के सामने नदबई जिला भरतपुर
8–नगर विकास न्यास भरतपुर
9–महेन्द्र कौर पत्नी तारासिंह निवासी बीनारायण दरवाजा भरतपुर (मृतक)
9/1–डॉ गुरुदीप सिंह
9/2– इन्द्रपाल सिंह } पुत्रान स्व0 महेन्द्र कौर
9/3–हीरासिंह
9/4–रणजीत सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र कौम पत्नि स्व0 तारासिह (मृतक)
9/4/1–रुपेन्द्र कौर पत्नी रणजीत सिंह
9/4/2–रषनीत सिह । पुत्रान रणजीत सिंह
9/4/3–इशनीत सिह ।
9/5–रवीन्द्र कौर । पुत्रीयान स्व0 महेन्द्र कौर
9/6– राजेन्द्र कौर।
10–धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रसाद कौम ब्राहम्ण निवासी अटलबन्ध मण्डी भरतपुर

.........अप्रार्थीगण

......3

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है।
लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्टेट, भरतपुर

रेफरेन्स / 02 / 2008
तहसीलदार भरतपुर बनाम दाताराम वगै0

रेफरेन्स प्रार्थना धारा 9 व 82 भूराजस्व अधिनियम 1956 बावत नामान्तकरण संख्या 333 ग्रांम कस्वा भरतपुर नम्बर 1 तहसील भरतपुर

उपस्थित :–
1– पैरोकार सरकार, प्रार्थी
2–श्री महाराजसिंह डांगुर अभिभाषक अप्रार्थी0,7 / 1

निर्णय

दिनांक 16.10.2024

प्रार्थी तहसीलदार भरतपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीयान अन्तर्गत धारा 9 व 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आश्य का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 969 रकवा 8 विस्वा, ख.न. 970 रकवा 11 विस्वा, ख.न. 971 रकवा 13 विस्वा, ख.न.972 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1129 / 0.17, 1130 / 0.11, 1133 / 0.09, 1134 / 0.06 किता चार रकवा 0.43 है0 ग्रांम कस्वा भरतपुर चक नम्बर 1 तहसील भरतपुर सरकार दौलत मदार की भू राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 दाताराम पुत्र हरेत कौम गूजर सा. भरतपुर को एक वर्षीय अस्थाई फट्टे पर दी गई थी। अप्रार्थी दाताराम ने राजस्व कर्मियों से मिली भगत कर विवादित आराजी पर जरिये नामान्तकरण संख्या 333 के द्वारा खातेदारी अधिकार अनुचित रुप से प्राप्त कर लिये। नामान्तकरण संख्या 333 तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.9.1961 को खातेदारी अधिकार बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 के हक में धारा 15 राज0काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया गया है, जब कि धारा 15 आर.टी.एक्ट के तहत तहसीलदार को खातेदारी देने का अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या एक ने विवादित आराजी पर काश्त नही की गई है और उसका कब्जा काश्त विवादित भूमि पर नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने विवादित आराजी पर नियमों के विपरीत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 2 नवलसिह को तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 को उत्तरोत्तर विक्रय किया जा चुका है। जिनके नामान्तकरण संख्या 579,597,620,820 एवं 121 खोले गये हैं। विवादित आराजी नगर परिषद / नगर विकास न्यास की सीमाओ के अंतर्गत स्थित है एवं आवादी क्षेत्र से सटी हुई है एवं उक्त भूमि को भूमि रुपान्तरण हेतु धारा 90बी सी

.....4

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है ।
लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्टर, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

के तहत नगर सुधार न्यास भरतपुर के नाम दर्ज हो गई है। मौके पर वर्तमान में भूमि का अप्रार्थी संख्या 9 व 10 द्वारा व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है जिसमे बी.एम. पैलेस के नाम से मैरिज होम एवं सलूजा इलेक्ट्रोनिक्स के नाम से प्रतिष्ठान स्थापित हैं। विवादित आराजी कानूनी रुप से राजकीय भूमि है एवं अप्रार्थी0 की स्थिती मात्र अतिक्रमियों की है। अन्त में प्रार्थना की गई है कि नामान्तकरण संख्या 333, 579, 597, 620, 820, 121 नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने एवं विवादित आराजी को पूर्वतः सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने के लिये प्रकरण माननीय राज़स्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर। अप्रार्थी0 की तलवी की गई। अप्रार्थी संख्या 7/1 की ओर से एड0महाराजसिंह डांगुर का वकालतनामा पेश हुआ तथा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया है। शेष अप्रार्थी0 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैरोकार सरकार एवं एड0 महाराजसिह डागुर की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में अंकित कथनों को दौहराते हुये बताया कि आराजी खसरा नम्बर 969 रकवा 8 विस्वा, ख.न. 970 रकवा 11 विस्वा, ख.न. 971 रकवा 13 विस्वा, ख.न.972 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1129/0.17, 1130/0.11, 1133/0.09, 1134/0.06 किता चार रकवा 0.43 है0 ग्रांम कस्वा भरतपुर चक नम्बर 1 तहसील भरतपुर सरकार दौलत मदार की भू राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 दाताराम पुत्र हरेत कौम गूजर सा. भरतपुर को एक वर्षीय अस्थाई पट्टे पर दी गई थी। अप्रार्थी दाताराम ने राजस्व कर्मियों से मिली भगत कर विवादित आराजी पर जरिये नामान्तकरण संख्या 333 के द्वारा खातेदारी अधिकार अनुचित रुप से प्राप्त कर लिये। नामान्तकरण संख्या 333 तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.9.1961 को खातेदारी अधिकार बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 के हक में धारा 15 राज0काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया गया हैं, जब कि धारा 15 आर.टी.एक्ट के तहत तहसीलदार को खातेदारी देने का अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने विवादित आराजी पर नियमों के विपरीत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 2 नवलसिह को तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 को उत्तरोत्तर विक्रय किया जा चुका है। जिनके नामान्तकरण संख्या 579,597,620,820 एवं 121 खोले गये हैं। विवादित आराजी नगर परिषद/नगर विकास न्यास की सीमाओ के अंतर्गत स्थित है एवं आबादी क्षेत्र से सटी हुई है एवं उक्त भूमि को भूमि रुपान्तरण हेतु धारा 90बी सी के तहत नगर सुधार न्यास भरतपुर के नाम दर्ज हो गई है। नामान्तकरण संख्या 333 तारीखी

.....5

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है।
लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर
फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

1961 निरस्त योग्य है। राजहित व जनहित में नामान्तकरण संख्या 333 तारीखी 1961 एवं उसके बाद खोले गये नामान्तकरण संख्या 333, 579, 597, 620, 820, कस्बा भरतपुर चक नम्बर 1 तहसील भरतपुर निरस्त कर उक्त आराजी खसरा नम्बर 969 रकबा 8 बिस्वा, ख.न. 970 रकबा 11 बिस्वा, ख.न. 971 रकबा 13 बिस्वा, ख.न.972 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1129/0.17, 1130/0.11, 1133/0.09, 1134/0.06 किता चार रकबा 0.43 है0 ग्रांम कस्बा भरतपुर चक नम्बर 1 तहसील भरतपुर पर हो रहे अप्रार्थीगण का नाम कलमजन किया जाकर भूमि को राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने रेफरेन्स स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 7/1 ने अपने कथनों में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 971, 972 का खातेदार बृजबिहारी लाल पुत्र लक्ष्मीकान्त शुक्ल जाति ब्राहम्ण निवासी भरतपुर था जिसने सन् 1988 में उक्त समस्त आराजी का भूमि रुपान्तरण आबादी में करा लिया। उक्त विवादित आराजी को प्रार्थी के पिता वीरेन्द्र सिंह ने जरिये पंजीकृत बयनामा क्रय था। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का कहना है कि जब कोई व्यक्ति जमीदारी विस्वेदारी उन्मूलन एक्ट के आने अर्थात आपत्ति सम्वत् 2016 में काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने आपत्ति सम्वत् 2012 को व्यथित रकबे में था उसे मुताबिक कानून खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये तथा पटटेदार व गैर खातेदार को खातेदार तहसीलदार द्वारा अपने अधिकारों के तहत ही दी गई तथा जब तहसीलदार द्वारा खातेदार दर्ज किया गया उस समय पर तहसीलदार को शक्तियॉ प्रदान की गयी थी। विवादित भूमि विधिवत रुप से खातेदारान को खातेदारी अधिकार देते हुऐ खातेदारों की खातेदारी में दर्ज की गई तथा उसके तमाम सरकारी एजेन्सियों द्वारा पूर्ण जॉच करते हुए पहले विवादित भूमि को कृषि से आबादी में दर्ज किया गया तथा उसके बाद तमाम सरकारी एजेन्सियों ने विधि पर जॉच कर तथा भू उपयोग परिवर्तन शुल्क प्रार्थी के पक्ष में कर भूमि को व्यावसायिक भू उपयोग किया गया है। इस सम्पूर्ण कार्यवाही मे कोई भी गैर कानूनी कार्य नही हुआ है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि नामान्तकरण संख्या 333 दिनांक 11.9.1961 को स्वीकृत किया गया है, तहसीलदार भरतपुर द्वारा यह रेफरेन्स 46 वर्ष बाद पेश किया गया है जो अत्यधिक म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। विवादित आराजी आबादी में दर्ज हो चुकी है एवं बयनामों के निरस्तीकरण बाबत सिविल कोर्ट में जाना चाहिये इसलिए रेफरेन्स खारिज किये जाने योग्य है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में रुलिंग आर.आर.डी.1976 पेज 317, आर.एल.डब्लू. 1960 पेज 1, आर.एल.डब्लू. 1996 (1)पेज 396, आर.आर.टी. 2014 (2)

.....6

छाया प्रति मूल पत्र
के अनुसार सत्य है ।

लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

1004, आर.आर.डी.1974 पेज 561, उद्धरत करते हुये रेफरेन्स खारिज किये जाने प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अध्ययन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत् 2009 कस्वा भरतपुर चक न.1 में आराजी आराजी खसरा नम्बर 969 रकवा 8 विस्वा, ख.न. 970 रकवा 11 विस्वा, ख.न. 971 रकवा 13 विस्वा, ख.न.972 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा ग्रांम कस्वा भरतपुर चक न. 1 में दाताराम वल्द हरेत कौम गूजर सा.भरतपुर पट्टेदार साल एक दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2013 में आराजी खसरा नम्बर 969 रकवा 8 विस्वा, ख.न. 970 रकवा 11 विस्वा, ख.न. 971 रकवा 13 विस्वा, ख.न.972 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा ग्रांम कस्वा भरतपुर चक न.1 में दाताराम बल्द हरेत कौम गूजर सा.भरतपुर पट्टेदार 5 साल दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2017 में विवादित आराजी खसरा नम्बर आराज़ी ख़सरा नम्बर 969 रक़वा 8 विस्वा, ख.न. 970 रकवा 11 विस्वा, ख.न. 971 रक़वा 13 विस्वा, ख.न. 972 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा विस्वा ग्रांम कस्वा भरतपुर चक न.1 में दाताराम बल्द हेरत कौम गूजर सा.भरतपुर गैर खातेदार का अंकन हो रहा है।

नामान्तकरण संख्या 333 दिनांक 11.9.61 का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 969 रकवा 8 विस्वा, ख.न. 970 रकवा 11 विस्वा, ख.न. 971 रकवा 13 विस्वा, ख.न. 972 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा पर नामान्तकरण के कॉलम संख्या 5 में दाताराम बल्द हरेत कौम गूजर सा. भरतपुर पट्टेदार 5 साल का अंकन हो रहा है, नामांन्तकरण के कॉलम नं.11 में दाताराम बल्द हरेत कौम गूजर सा. भरतपुर खातेदार दर्ज किया गया है। नामान्तकरण पर अंकित आदेश का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है –

> ".....हस्व दफा 15 का.अधि. दाताराम को खसरा नम्बरान खाना नं. 12 रकवा 2 बीघा 13 विस्वा पर खातेदार किया जाना मंजूर है। अमल किया जावे एस.डी./– तहसीलदार भरतपुर 11.9.61 ....."

नामान्तकरण पर हो रहे तहसीलदार भरतपुर के उक्त आदेश से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 969 रकवा 8 विस्वा, ख.न. 970 रकवा 11 विस्वा, ख.न. 971 रकवा 13 विस्वा, ख.न. 972 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा पर

.....7

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है।
लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

पट्टेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत खातेदार किये जाने के आदेश दिये गये हैं जो नियमों के विपरीत हैं।

नामान्तकरण में हो रहे अंकन आदेश से जाहिर है कि तहसीलदार भरतपुर ने बिना सक्षम अधिकारी के आज्ञा के नियमों के विपरीत पट्टेदार को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त नामान्तकरण से राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने मिलीभगत कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत जरिये नामान्तकरण संख्या 333 दिनांक 11.9.61 को तहसीलदार भरतपुर द्वारा दाताराम पुत्र हरेत कौम गूजर सा. भरतपुर को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं जो नियमों के विपरीत है। तहसीलदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत किसी को खातेदारी देने का अधिकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा जो खातेदारी अधिकार दिये गये हैं वे नियमों के खिलाफ हैं। इस प्रकार तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जांकर नामांतकरण संख्या 333 दिनांक 11.9.61 द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गए जो राजस्व विधि अनुसार प्रारम्भिक स्तर पर ही शून्य थे। जो काबिल खारिज के है।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तहसीलदार भरतपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत नामान्तकरण संख्या 333 दिनांक 11.9.61 अप्रार्थी दाताराम पुत्र हरेत को खातेदारी दी गई है वह अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तहसीलदार भरतपुर को उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत किसी को खातेदारी देने का अधिकार नहीं देते हैं, तहसीलदार भरतपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियमों के खिलाफ यह नामान्तकरण स्वीकार किया गया है।

जहाँ तक म्याद रेफरेन्स के म्याद का है इस सम्बन्ध में निम्न रुलिंग पर विचार किया गया –

Rajasthan Tenancy Act.Section 15. के अन्तर्गत केवल सहायक कलक्टर को खातेदारी देने के अधिकार हैं तहसीलदार को नही।:–
आर0बी0जे0(6)1999 पेज 172 में प्रतिपादित किया है –

"Rajasthan Tenancy Act.Section 15. Under this section only Assistant Collector can grant khatedari rights-under section 15 of the Tenancy Act.. The Tehsildar can not pass order under this section. Therefore, attestation of mutation by the Tehsildar is illegal.....the order of Tehsildar is Void ab initio."

.....8

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है।
लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

21

रैफरेन्सं / 02 / 2008

(9)

तहसीलदार भरतपुर बनाम दाताराम वगै0

... न.1 तहसील भरतपुर जो दाताराम वल्द हरेत कोम गूजर को पट्टेदार से ...दारी का स्वीकार किया गया है को निरस्त किया जावे एवं इसके बाद ...नामा के आधार पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 579, 597, 620, 820, 121 ... शून्य घोषित किया जावे। विवादित आराजी गत आराजी खसरा नम्बर 969 रकवा ... बिस्वा, ख.न. 970 रकवा 11 बिस्वा, ख.न. 971 रकवा 13 बिस्वा, ख.न. 972 रकवा ... बीघा 1 बिस्वा कस्बा भरतपुर चक 1 तहसील भरतपुर को पूर्वत राजकीय भूमि ...वायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। प्रकरण रेफर माननीय राजस्व ...डल अजमेर में दिनांक 20.11.2024 को पेश हो। अभिभाषक उभय पक्षकारन को ...वगत कराया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 16—10—2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है।
लिपिक
जिला कलक्टर, भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर